कृषि निदेशालय, बिहार।

स0आ0सं0–06 / स्था0अव0 कोर्ट–2 / 2018 कृ0 / पटना, दिनांक : , 2019

सकारण आदेश

माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा एम0जे0सी0 नं0–3649 / 2017 वासुदेव प्रसाद बनाम बिहार राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक 08.02.2019 का संदर्भित अंश निम्नवत् हैः–

"In the background aforesaid, in the event, the applicant has any further grievance with regard to his other benefits, he can approach the appropriate authority as from the show cause filed by the opposite parties, it is evident that with regard to further benefits of the Gazetted post, the Director of Agriculture is not the competent authority. In that event, the claim of the applicant shall be forwarded by the Director to the competent authority in the State Government, who shall within three months finalize the claim of the applicant and intimate the applicant accordingly. The contempt application stands disposed of with the said observations."

2. माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा पारित उपर्युक्त न्यायादेश के आलोक में आवेदक श्री वासुदेव प्रसाद, सेवानिवृत्त निरीक्षक माप एवं तौल के द्वारा अपना दावा अभ्यावेदन दिनांक 20.02.2019, 27.02.2019, 01.03.2019 एवं 05.03.2019 विभिन्न प्राधिकारों के समक्ष समर्पित किया गया, जहॉ कृषि निदेशक, बिहार, पटना की अध्यक्षता में दिनांक 20.06.2019 को सम्पन्न समीक्षात्मक बैठक में उनके दावों की समिति द्वारा समीक्षा की गई तथा समिति द्वारा समीक्षोपरान्त यह पाया गया किः–

(i) आवेदक श्री प्रसाद के अभ्यावेदन दिनांक 20.02.2019 एवं 01.03.2019 द्वारा याचित दावा राजपत्रित पद से संबंधित होने के कारण कृषि विभाग के प्रशाखा–01 से संबंधित है, जिससे उनका दोनों अभ्यावेदन कृषि निदेशालय के गै०स०प्रे०सं०–61 दिनांक 14.03.2019 द्वारा निर्गत पीत–पत्र के माध्यम से कृषि विभाग के प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–01 को उपलब्ध करा दी गई है, जिस पर गुणागुन के आधार पर कृषि विभाग के ही स्तर से कार्रवाई की जा सकती है।

(ii) आवेदक श्री प्रसाद के अभ्यावेदन दिनांक 27.02.2019 एवं 05.03.2019 पर कृषि निदेशालय के स्तर से कार्रवाई की जानी है, जिसके लिए वस्तुस्थिति निम्नवत पायी गयी हैः–

(क) श्री प्रसाद के द्वारा अपने द्वितीय वित्तीय उन्नयन की मॉग दिनांक 09.08.1999 के प्रभाव से वेतनमान 10000–15200 / – रूपये में तथा तृतीय एम0ए0सी0पी0 की मॉग दिनांक 01.01.2009 के प्रभाव से वेतनमान पी0बी0–3 ग्रेड पे0 7600 / – रूपये में की गई है।

इस संबंध में समित द्वारा समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि आवेदक श्री प्रसाद के उपर्युक्त दावों को अस्वीकृत करते हुए कृषि निदेशालय के सकारण आदेश ज्ञापांक–986 दिनांक 07.12.2018 द्वारा श्री प्रसाद को नियमनुसार द्वितीय वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दिनांक 09.08.1999 को वेतनमान 6500–10500 / – रूपये में तथा तृतीय रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति दिनांक 01.01.2009 को वेतनमान पी0बी0–02 ग्रेड पे0 5400 / – रूपये में प्रदान की गई है।

समिति द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह पाया गया कि आवेदक श्री प्रसाद का उपर्युक्त संदर्भित दावा नियमानुसार एवं उचित प्रतीत नहीं होता हैं तथा श्री प्रसाद को पूर्व में स्वीकृत द्वितीय वित्तीय उन्नयन एवं तृतीय रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन का उपर्युक्त वेतनमान सही है।

(ख) श्री प्रसाद द्वारा अपनी सेवानिवृत्ति की तिथि दिनांक 31.01.2013 से दिनांक 07.07.2017 तक की सेवा अवधि विस्तार करते हुए प्रोन्नत पद से सभी सेवान्त लाभ की स्वीकृति / भुगतान की मॉग की गई है तथा यह भी मॉग की गई है कि उन्हें वर्ष 2007 से सेवानिवृत्ति की तिथि 31.01.2013 तक 13 प्रतिशत (Compound Interest) चक्रवर्ती ब्याज के साथ सभी अनुवर्त्ती लाभ सूद के साथ भुगतान किया जाय।

इस संबंध में समिति द्वारा समीक्षोपरांत यह पाया गया कि आवेदक के उपर्युक्त मॉगों को प्रदान करने के लिए उनके द्वारा न तो संदर्भित न्यायादेश उपस्थापित किया गया है और न ही कोई कार्यपालक नियम/नियमावली की प्रति ही उपस्थापित की गई है। जहाँ तक उक्त दावा प्रकरण की बात है माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इन्हें मात्र निरीक्षक माप एवं तौल के पद पर सभी लाभों के साथ प्रोन्नति प्रदान करने के लिए ही न्यायादेश प्रदान किया गया है, जहॉ कृषि निदेशालय के सकारण आदेश संख्या–986 दिनांक 07.12.2018 द्वारा इन्हें निरीक्षक माप एवं तौल के पद पर सभी लाभों के साथ प्रोन्नति प्रदान करते हुए द्वितीय वित्तीय उन्नयन एवं तृतीय रूपान्तरित वित्तीय उन्नयन की स्वीकृति भी प्रदान की गई है, जो इस बात का प्रमाण है कि श्री प्रसाद के मामला में न्यायादेशानुसार कृषि निदेशालय द्वारा उनके देय पावनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है। ऐसी स्थिति में श्री प्रसाद की सेवानिृत्ति के उपरांत उन्हें दिनांक 31.01.2013 से दिनांक 07.07.2017 तक की अवधि के लिए सेवा विस्तार करना अथवा वर्ष 2007 से दिनांक 31.01.2013 तक 13 प्रतिशत चक्रवृद्धी ब्याज के साथ सभी अनुवर्ती लाभ सूद के साथ भुगतान करने का कोई भी औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

फलतः समिति द्वारा पूर्ण समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि आवेदक श्री प्रसाद का उपर्युक्त दावा भी नियमानुकूल एवं उचित प्रतीत नहीं होता है।

3. वर्णित उपरोक्त स्थिति में समिति द्वारा पूर्ण समीक्षोपरान्त आवेदक श्री वासुदेव प्रसाद, सेवानिवृत्त निरीक्षक माप एवं तौल के दावा अभ्यावेदन दिनांक 27.02.2019 एवं 05.03.2019 को नियमानुकूल एवं उचित नहीं पाये जाने के कारण उनके उपर्युक्त दोनों दावों को अस्वीकृत करने की अनुशंसा की गई।

4. अतः वर्णित उपरोक्त स्थिति में आवेदक श्री वासुदेव प्रसाद, सेवानिवृत्त निरीक्षक, माप एवं तौल के उपर्युक्त दावा अभ्यावेदन दिनांक 27.02.2019 एवं 05.03.2019 को अस्वीकृत किया जाता है।

आदेश दिया जाता है कि इस आदेश की प्रति सभी संबंधितो को दे दी जाय।

ह0/–

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।

ज्ञापांक – 449 कृ0, पटना, दिनांक– 07-8, 2019

प्रतिलिपि – महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/अपर महाधिवक्ता नं0–13 महाधिवक्ता का कार्यालय उच्च न्यायालय, पटना/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना/श्री वासुदेव प्रसाद, सेवानिवृत्त निरीक्षक माप एवं तौल, कार्यालय संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना सम्प्रति आवासीय पता–अपराजिता अपार्टमेन्ट, पो0–भेटनरी कॉलेज, थाना–राजीव नगर, जिला–पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. ✓ आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।